रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112023-249827
CG-DL-E-01112023-249827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4568] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2023/कार्तिक 10, 1945
No. 4568] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023/KARTIKA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 नवम्बर, 2023

(आयकर)

का.आ. 4756(अ).—जबकि, **करों के संबंध में जानकारी के आदन-प्रदान और संग्रह में सहायता के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स सरकार के बीच** दिनांक 19 मई, 2022 को जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में निर्धारित है (इसके बाद इसे समझौते के रूप में संदर्भित किया जाएगा), किंगस्टन, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स में एक समझौता संपन्न किया गया था;

और जबकि, उक्त समझौता इस समझौते के अनुच्छेद 12 के पैरा 1 और 2 के अनुसार उक्त समझौते को लागू करने के लिए संविदाकारी राज्यों की अपनी-अपनी विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूर्ण होने की अधिसूचनाओं के बाद की तिथि होते हुए, दिनांक 14 फरवरी, 2023 से प्रभावी हुआ,

और जबकि, उक्त समझौते के अनुच्छेद 12 के पैरा 2 में यह व्यवस्था भी है कि यह समझौता इसके प्रभावी होने की तिथि के पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा,

अब, अतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यह अधिसूचित करती है कि उक्त समझौते से सभी प्रावधान, जैसा कि इसके साथ संलग्न है, भारत संघ में प्रभावी हो जाएगें।

अनुच्छेदक

भारत गणराज्य की सरकार

एवं

सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस

के बीच करों के सम्बंध में सूचनाओं के

आदान-प्रदान और संग्रहण में

सहायता सम्बंधी करार

भारत गणराज्य की सरकार एवं सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस की सरकार, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान और इनके संग्रहण में सहायता को सुगम बनाने की इच्छुक होकर, इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य और क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचनाओं में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए व्यवहार्य रूप से सुसंगत हो। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी कर दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता भी देंगे। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान या संग्रहण में सहायता में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

इस करार के अनुसार सूचनाओं का आदान-प्रदान इस बात पर ध्यान दिए बिना किया जाएगा कि क्या वह व्यक्ति जिससे सूचनाएं संबंधित हैं अथवा जिसके पास सूचनाएं रखी गई हैं, वह संविदाकारी पक्ष का निवासी है। फिर भी, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

शामिल कर

1. वे कर, जो इस करार के अध्ययीन हैं:

क) भारत में केन्द्र सरकार अथवा राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर इस पद्धति पर ध्यान दिये बिना कि वे किस तरह वसूले गये हैं।

ख) सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस में, केन्द्र सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर, इस पद्धति पर ध्यान दिए बिना कि वे किस तरह वसूले जाते हैं।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए ऐसे ही अथवा पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगी। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान में तथा और संबंधित सूचना एकत्र करने तथा संग्रहण वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्षकार की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हों, एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए।

क) "भारत" पद से अभिप्रेत है – भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों जिसमें समुद्र

के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय शामिल है, के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

ख) सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस शब्द का अर्थ है मुख्य भूमि सेंट विंसेंट और बत्तीस द्वीप और केज़ जिनसे ग्रेनेडाइन बना हैं;

ग) शब्द "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, जैसा भी संदर्भ अपेक्षित हो, से है;

घ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है

i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;

ii) सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उनका यथा प्राधिकृत प्रतिनिधि;

ड़) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

च) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

छ) "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ज) "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

झ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है:

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज;

(ii) सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में, इस्टर्न कैरेबियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज या इस्टर्न कैरेबियन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य स्टॉक एक्सचेंज; तथा

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों;

ञ) "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;

ट) "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ठ) "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;

ड) "अनुरोधकर्ता पक्ष" से तात्पर्य, संविदाकारी पक्ष से है-

(i) जो सूचना हेतु कोई अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हो, या

(ii) से सूचनाएं प्राप्त की हों, या

(iii) प्रार्थित पक्ष को कर के संग्रहण में सहायता के लिए अनुरोध

प्रस्तुत करना,

ढ) "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य, संविदाकारी पक्ष से है-

(i) जिससे सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, या

(ii) जिसने सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं; या

(iii) जिससे कर के संग्रहण में सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ण) "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

त) "संग्रहण के उपायों में सहायता" शब्द से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध किया गया कर दावा प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

थ) "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो;

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-10 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. अनुरोध करने पर प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद-1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान इस बात पर विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या प्रार्थी पक्ष को ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता खुद अपने कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह प्रार्थित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण प्रार्थित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता है।

2. यदि प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, प्रार्थी पक्ष को प्रार्थित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि प्रार्थित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्नलिखित को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, नामितियों या न्यासियों सहित, द्वारा धारित सूचनाएं;

ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, "ऐन्स्टालटेन" और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद-2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचनाएं; तथा ऐसी सत्ताओं के बारे में समकक्ष सूचनाएं जो न तो न्यासी हैं और न ही फाउंडेशन ही हैं।

5. यह करार संविदाकारी पक्षों पर सार्वजनिक व्यापार वाली कंपनियों या सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों या योजनाओं की स्वामित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने या उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं डालता, जब तक कि ऐसी सूचनाएं बिना गैर-समानुपातिक कठिनाई उत्पन्न किए प्राप्त की जा सकती हों।

6. प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोधित सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएंगे:

(क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

(ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

(ग) प्रार्थित सूचनाओं की प्रकृति तथा वह प्रारूप जिसमें प्रार्थी पक्ष इसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा;

(घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

(ड़) यह विश्वास करने के कारण कि प्रार्थित सूचना प्रार्थित पक्ष के पास है अथवा प्रार्थित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

(च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास प्रार्थित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है; और

(छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, प्रार्थी पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि प्रार्थित सूचना प्रार्थी पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो प्रार्थी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी प्रार्थी पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है;

(ज) यह विवरण देते हुए कि प्रार्थी पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाय उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

7. प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र प्रार्थित सूचना प्रार्थी पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

क) प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;

ख) यदि प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रार्थी पक्ष को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर, प्रार्थित पक्ष प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को प्रार्थित पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है जो घरेलू कानूनों के अन्तर्गत अनुमत्त सीमा तक है ताकि वैयक्तिक अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से वैयक्तिक का साक्षात्कार लिया जा सके तथा रिकार्डों की जांच की जा सके। प्रार्थी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ आशयित बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उचित भाग पर उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है जिस केस में जांच करने वाले अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी, जितना शीघ्र संभव हो, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी जांच के समय तथा स्थान जांच करने वाले प्राधिकारी अथवा मनोनीत अधिकारी तथा जांच करने हेतु अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं तथा शर्तों को अधिसूचित करेगा। कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय, जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को ठुकराने की संभावना

1. प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :

(क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; अथवा

(ख) जहां प्रार्थी पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा

(ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा:

(i) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, राज़ अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो, बशर्ते अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचनाओं को सिर्फ इस कारण से गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ के मानदंडों को पूरा करती है; अथवा

(ii) सूचनाएं प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक तथा अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत वैध प्रतिनिधि के बीच गोपनीय संप्रेषण को व्यक्त करेगा जहां ऐसे संप्रेषण :

(क) कानूनी परामर्श की मांग करने के प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा

(ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए गए हैं;

अथवा

(iii) अपने कानूनों तथा प्रशासनिक पद्धतियों की भिन्नता में प्रशासनिक उपाय करना बशर्ते इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद-5 के पैराग्राफ-4 के अन्तर्गत संविदाकारी पक्ष के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. प्रार्थित पक्ष से उन सूचनाओं को प्राप्त करना अथवा प्रदान करना अपेक्षित नहीं होगा जिसे प्रार्थी पक्ष अपने स्वयं के कर कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ अपने स्वयं के कानूनों के तहत अथवा इस करार के अन्तर्गत प्रार्थित पक्ष से वैध अनुरोध की प्रतिक्रिया में उन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त करने में असक्षम होगा।

5. प्रार्थित पक्ष केवल इस कारण से सूचनाएं प्रदान करने से मना नहीं करेगा कि उक्त अनुरोध में अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं शामिल नहीं हैं यदि सूचनाएं प्रार्थित पक्ष के कानून के अनुसार अन्यथा प्रदान की जा सकती हों।

अनुच्छेद 8

कर दावों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी पक्ष कर दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य करों के संबंध में किसी धनराशि, जैसा कि अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है, के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा ऐसी राशि के संरक्षण के संबंध में बकाया धनराशि है।

3. जब किसी संविदाकारी पक्ष का कर दावा उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय हो और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जो उस समय उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस कर दावे को उस पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस कर दावे को उस दूसरे पक्ष द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य उसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो वह कर दावा उस दूसरे पक्ष का कर दावा था।

4. जब किसी संविदाकारी पक्ष का कर दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह पक्ष, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस कर दावे को उस पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा पक्ष उस कर दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि वह कर दावा उस दूसरे पक्ष का कर दावा हो, भले ही जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, तो वह कर दावा प्रथमोल्लिखित पक्ष में प्रवर्तनीय न हो अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय हो जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. जब कोई संविदाकारी पक्ष अपने कानून के तहत किसी व्यक्ति के विरूद्ध कर दावा किए जाने से पहले उसकी संपत्तियों पर रोक लगाकर संरक्षण के उपाय कर सकती हो, तो प्रथम संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध

करने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी उस संविदाकारी पक्ष में उस व्यक्ति की संपत्तियों पर रोक लगाने का उपाय करेंगे।

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के बावजूद, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजन से किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कोई कर दावा, उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे उसकी प्रकृति के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी कर दावे के प्रयोजन से कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजन से किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए कर दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत उस कर दावे पर कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी।

7. किसी संविदाकारी पक्ष के कर दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस पक्ष के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा संबंधित कर दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित पक्ष को प्रेषित करने से पहले संबंधित कर दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित पक्ष का कोई कर दावा जो उस पक्ष के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित पक्ष के कर दावे जिसके संबंध में वह पक्ष अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है;

प्रथमोल्लिखित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे पक्ष के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित पक्ष अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी पक्ष पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस पक्ष के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।

अनुच्छेद 9

गोपनीयता

इस करार के तहत किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त किसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा तथा वह सूचना केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को दी जा सकती है, जो संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण अथवा संग्रहण, उनसे संबंधित प्रवर्तन या अभियोजन, या उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन से करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। यह सूचना प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकारी को प्रकट नही की जा सकती।

अनुच्छेद 10

कार्यांन्वयन के विधान

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन तथा प्रभाव देने के लिए आवश्यक विधान बना सकते हैं, जहाँ ऐसा कोई विधान पहले से ही मौजूद नहीं है। ऐसे विधान इस करार के लागू होने के छ: माह के भीतर बनाए जाएंगे।

अनुच्छेद 11

पारस्परिक करार की विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5, 6 तथा 8 के अन्तर्गत प्रयोग करने के लिए प्रक्रियाओं पर परस्पर सहमत हो सकते हैं।

2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 12

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति के बारे में, जितनी जल्दी हो सके, राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा तदुपरांत उसके बाद से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 13

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनैयिक चैनलों के माध्यम से समाप्ति का लिखित नोटिस देकर करार लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद करार को समाप्त कर सकता है।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. यदि इस करार का समापन हो जाता है, तो दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार के अन्तर्गत प्रदान की गई अथवा प्राप्त की गई किसी सूचना के बारे में अनुच्छेद-9 के उपबंधों से बाध्य रहेंगे।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने इसके लिए विधिवत रूप से अधिकृत होते हुए, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ईस्वी सन् दो हजार बाईस के मई माह के उन्नसीवें दिन किंगस्टन में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रत्येक दो प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। व्याख्या में अंतर की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

भारत गणराज्य की सरकार	सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स सरकार
विदेश मंत्रालय की ओर से	विदेश मामले और विदेश व्यापार मंत्रालय की ओर से
ह/-	ह/-
(सौरभ कुमार)	(सैंडी पीटर्स-फिलिप्स)
सचिव (पूर्व)	परमानेंट सेक्रेटरी

[अधिसूचना सं. 96/2023/फा. सं. 503/12/2012-एफटीडी.I]

सुखद चतुर्वेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2023

(Income- Tax)

S.O. 4756(E).—Whereas, an **Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Saint Vincent and the Grenadines for the Exchange of Information and Assistance in collection with respect to taxes**, was signed at Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines on the 19th day of May of 2022, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as *the Agreement*);

And whereas, the said Agreement entered into force on the 14th day of February, 2023, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws of the contracting states for entry into force of the said agreement, in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 12 of the Agreement,

And whereas, paragraph 2 of Article 12 of the said Agreement also provides that the Agreement shall have effect forthwith after the date of entry into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES FOR

THE EXCHANGE OF INFORMATION

AND

ASSISTANCE IN COLLECTION

WITH RESPECT TO TAXES

The Government of the Republic of India and the Government of Saint Vincent and the Grenadines, desiring to facilitate the exchange of information and assistance in collection with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement. The competent authorities shall also lend assistance to each other in the collection of tax claims. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information or assistance in collection.

Article 2

Jurisdiction

Information shall be exchanged in accordance with this Agreement without regard to whether the person to whom the information relates is, or whether the information is held by, a resident of a Contracting Party. However, a Requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor is in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

a) in India, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or the Governments of political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied;

b) in Saint Vincent and the Grenadines, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures and assistance in collection measures which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

b) the term Saint Vincent and the Grenadines, means mainland Saint Vincent and the thirty two islands and cays which comprise the Grenadines;

c) the term “Contracting Party” means India or Saint Vincent and the Grenadines, as the context requires;

d) the term “competent authority” means

(i) in the case of India, the Finance Minister, Government of India, or its authorized representative;

(ii) in the case of Saint Vincent and the Grenadines, the Minister of Finance, or his duly authorised representative;

e) the term “person” includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;

f) the term “company” means anybody corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

g) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

h) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i) the term “recognised stock exchange” means

(i) in India, the National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange, and any other stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India;

(ii) in Saint Vincent and the Grenadines, the Eastern Caribbean Securities Exchange or any other stock exchange recognised by the Eastern Caribbean Securities Regulatory Commission; and

(iii) any other stock exchange which the competent authorities agree to recognise for the purposes of this Agreement;

j) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;

k) the term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

l) the term “tax” means any tax to which this agreement applies;

m) the term “requesting Party” means the Contracting Party-

(i) submitting a request for information to, or

(ii) having received information from, or

(iii) submitting a request for assistance in collection of tax to,

the requested Party,

n) the term "requested Party" means the Contracting Party-

(i) which is requested to provide information, or

(ii) which has provided information, or

(iii) which is requested to provide assistance in collection of tax.

o) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

p) the term "assistance in collection measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to collect and remit the requested tax claim;

q) the term "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 10 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and equivalent information in case of entities that are neither trusts nor foundations.

5. This Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) the period for which information is requested;

(c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it ;

(d) the tax purpose for which the information is sought;

(e) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

(f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;

(g) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

(h) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested Party, in which case the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request for information

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:

(a) where the request is not made in conformity with this Agreement; or

(b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or

(c) where disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public) of the requested Party.

2. This Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation:

(i) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph; or

(ii) to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

(a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

(b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings; or

(iii) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under paragraph 4 of Article 5.

3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain in similar circumstances under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request from the requested Party under this Agreement.

5. The requested Party shall not decline to provide information solely because the request does not include all the information required under Article 5 if the information can otherwise be provided according to the law of the requested Party.

Article 8

Assistance in the Collection of Tax Claims

1. The Contracting Parties shall lend assistance to each other in the collection of tax claims.

2. The term "tax claim' as used in this Article means as amount owed in respect of taxes as mentioned in Article 3, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a tax claim of a Contracting Party is enforceable under the laws of that Party and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Party, prevent its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Party, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting Party. That tax claim shall be collected by that other Party in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the tax claim were a tax claim of that other Party.

4. When a tax claim of a Contracting Party is a claim in respect of which that Party may, under its law, take measure of conservancy with a view to ensure its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Party, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting Party. That other Party shall take measure of conservancy in respect of that tax claim in accordance with the provisions of its laws as if the tax claim were a tax claim of that other Party even if, at the time when such measures are applied, the tax claim is not enforceable in the first-mentioned Party or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. When a Contracting Party may, under its law, take interim measures of conservancy by freezing of assets before a tax claim is raised against a person, the competent authority of the other Contracting Party, if requested by the competent authority of the first mentioned party, shall take measures for freezing the assets of that person in that Contracting Party in accordance with the provisions of its law.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 and 4, a tax claim accepted by a Contracting Party for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that state, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a tax claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a tax claim accepted by a Contracting Party for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that tax claim under the laws of the other Contracting Party.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a tax claim of a Contracting Party shall only be brought before the courts or administrative bodies of that Party. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting Party.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting Party under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting Party has collected and remitted the relevant tax claim to the first-mentioned Party, the relevant tax claim ceases to be:

a) In the case of a request under paragraph 3, a tax claim of the first-mentioned Party that is enforceable under the laws of that Party and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Party, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a tax claim of the first-mentioned Party in respect of which that Party may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection,

the competent authority of the first-mentioned Party shall promptly notify the competent authority of the other Party of that fact and, at the option of the other Party, the first-mentioned Party shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting Party;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting Party has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to be benefit to be derived by the other Contracting Party.

Article 9

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Requested Party.

Article 10

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement, where no such legislation already exists. Such legislation shall be enacted within six months of entry into force of this Agreement.

Article 11

Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 8 of this Agreement.

2. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Article 12

Entry into Force

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement, as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and shall thereupon have effect forthwith.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Contracting Party.

2. Either Contracting Party may, after the expiry of five years from the date of its entry into force, terminate the Agreement by serving a written notice of termination to the other Contracting Party through diplomatic channels.

3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the provisions of the Agreement.

4. If the agreement is terminated, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 9 with respect to any information obtained under the agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at **Kingstown** on the **Nineteenth day of May 2022**, each in the Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail

For and on behalf of the Ministry of External Affairs	For and on behalf of the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
Government of the Republic of India	**Government of the Saint Vincent and the Grenadines**
Sd/-	**Sd/-**
(SAURABH KUMAR)	**(SANDY PETERS-PHILLIPS)**
SECRETARY (EAST)	**PERMANENT SECRETARY**

[Notification No. 96/2023 F.No. 503/12/2012-FTD.I]

SUKHAD CHATURVEDI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.01 22:12:05 +05'30'